देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR
www.jawabdosarkar.com
(A Digital Media Initiative to promote Accountability)

वॉल्यूम न.– 2021/MMP/210 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | सोमवार, 1 नवम्बर 2021

विशेष रिपोर्ट-1

जेडीए के ज़ोन 9 मे स्थित आवासीय भूखंड संख्या 542 श्री राम विहार,जगतपुरा पर जेडीए प्रवर्तन की सरपरस्ती मे बन गया 15 दुकानों का अवैध व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स!!!

जगतपुरा की मुख्य सड़क पर कैसे बन गया यह अवैध कॉम्प्लेक्स?

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

जेडीए के ज़ोन-9 मे स्थित आवासीय भूखंड संख्या 542,श्री राम विहार,जगतपुरा का है मामला|

जानकारी के अनुसार जेडीए के ज़ोन 9 मे स्थित आवासीय भूखंड संख्या 542,श्री राम विहार, जगतपुरा रोड पर जेडीए की नाक के नीचे 15 दुकानों का अवैध व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बना लिया गया है|सूत्रों के अनुसार इस अवैध कॉम्प्लेक्स की कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को सूचना भी दी गयी लेकिन जेडीए मे पनप चुके भूमाफियाओं और जिम्मेदार अधिकारियों के गठजोड़ के कारण यह सभी शिकायतें फ़ाईलों मे दफन हो कर रह गयी|सबसे बड़ी बात यह है कि शहर की मुख्य सड़क पर बन रहा यह अवैध कॉम्प्लेक्स आखिर आज तक जिम्मेदारों को नजर क्यूँ नहीं आया?

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन श्री रघुवीर सैनी कर रहे ताबड़तोड़ कार्यवाही,लेकिन इससे भी अवैध निर्माणकर्ताओं मे भय नहीं|

जैसा कि हम सब को मालूम है कि जेडीए के मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन पर वर्तमान मे श्री रघुवीर सैनी नियुक्त है|श्री सैनी अपने सिद्धांतों पारदर्शिता,शुद्ध मंशा और कर्तव्य पालन के लिए विख्यात है|जेडीए मे जबसे उनकी नियुक्ति हुई है उनके द्वारा अवैध निर्माणों,अतिक्रमणों के विरुद्ध प्रतिदिन कोई ना कोई बड़ी कार्यवाही की जाती रही है|लेकिन इसके बावजूद अवैध निर्माणकर्ताओं के हौंसले पस्त नहीं हुए है बल्कि बढ़ते जा रहे है और संबन्धित प्रवर्तन अधिकारी से साँठ-गांठ कर अवैध निर्माण करने से बाज नहीं आ रहे है|जानकारों के अनुसार इस अवैध कॉम्प्लेक्स को बनाने वाला भूमाफिया ने भी मोटी रकम खिलाई है,जिसके चलते ही लाख शिकायतों के बावजूद इस पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है|देखना यह है कि यह मामला श्री सैनी के संज्ञान मे आने के बाद इस अवैध निर्माण को सील/ध्वस्त किया जाता है या नहीं?श्री सैनी द्वारा इस मामले मे कार्यवाही करने के आदेश पर संबन्धित प्रवर्तन अधिकारी क्या बहाना बना कर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश करते है?

जेडीए की प्रवर्तन शाखा की कार्रवाई

फ्लैट, व्यावसायिक इमारत की सील

जयपुर @ पत्रिका. जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने शनिवार को अवैध रूप से बन रहे नौ फ्लैट और एक व्यवसायिक इमारत को भी सील किया। जोन-08 के खुशी विहार में 400 वर्ग गज के भूखंड पर चार मंजिला इमारत का निर्माण कर नौ फ्लैट बनना दिए थे। निर्माणकर्ता को 29 जुलाई 2020 में नोटिस जारी कर काम रुकवाया था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर में निर्माण कार्य शुरू कर लिया। कार्रवाई के दौरान प्रवेश और निकास द्वारों पर ईंटों की दीवार खड़ी कर दी गई। इसके अलावा जोन-04 में सिद्धार्थ नगर में दो भूखंडों को मिलाकर चार मंजिला व्यवसायिक इमारत का काम रुकवाया, लेकिन अवैध निर्माण जारी रखा। 29 अक्टूबर को नोटिस जारी कर शनिवार को इमारत सील कर दी।

डाल दी छत, प्रवर्तन शाखा चुप

आकेड़ा बस स्टैंड के पास दो दुकानों पर प्रवर्तन शाखा ने 17 अक्टूबर को कार्रवाई कर ध्वस्त कर दिया। स्थानीय लोगों की मानें तो तीन-चार दिन बाद दुकानों का काम शुरू हो गया और शुक्रवार को छत भी डाल दी। प्रवर्तन शाखा में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। जोन ईओ किशन भंडारी का कहना है कि दुकानों का काम फिर चालू हो गया, ये मेरी जानकारी में नहीं है। जोन बड़ा है, एक बार दिखवाता हूं।

मास्टर प्लान की अनदेखी के चलते राजस्थान उच्च न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला,अवैध निर्माणों को किसी भी सूरत मे नहीं बख्शने और सख्त कार्यवाही करने के निर्देश|

शहरो के सुनियोजित विकास मे नगर नियोजन की अहम भूमिका होती है जिसके लिए शहरों का मास्टर प्लान बनाया जाता है|परंतु देखा गया है कि आपसी मिलीभगत,लालच और भ्रष्टाचार के चलते शहरों के मास्टर प्लान के विपरीत कार्य किए जा रहे है जैसे कि आवासीय योजनाओ मे व्यवसायिक गतिविधियों का संचालन,भवन विनियमों के विपरीत निर्माण,आवासीय क्षेत्रो मे बड़े बड़े व्यवसायिक मॉल,चारगाह और सार्वजनिक क्षेत्रों पर अवैध कब्जे,कृषि भूमियों पर अवैध कॉलोनियों का निर्माण,इकोलोजिकल क्षेत्र मे आवासीय गतिविधियां आदि|इन अवैध गतिविधियों से जहां शहरों मे पार्किंग की समस्या,यातायात की समस्या,मूलभूत सुविधाओं पर अनावश्यक दबाव,स्थानीय नागरिकों की हवा पानी की समस्या,गंदगी,प्रदूषण,कानून व्यवस्था मे बाधा इत्यादि समस्याओं मे इजाफा होता है वहीं अवैध निर्माणों से शहर के सुनियोजित विकास मे अवरोध उत्पन्न होता है साथ ही सरकार द्वारा जारी भवन विनियम औचित्यहीन हो जाते है और आम नागरिक की ज़िंदगी नर्क समान हो जाती है|इतना ही नहीं स्थानीय निकायों की उदासीनता और सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों की अवैध निर्माणकर्ताओं,बिल्डरों से मिलीभगत के चलते राजस्व हानि का नुक्सान अलग से उठाना पड़ता है|

ऐसे मामलों पर संज्ञान लेते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 7 अप्रेल 2004 को राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक श्री गुलाब कोठारी के पत्र पर दर्ज की गयी जन हित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिनांक 12/01/2017 को मास्टर प्लान की अक्षरतः पालना करने के संबंध मे 34 बिन्दुओं के दिशा-निर्देश पारित किए|

अवैध निर्माणों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश|

अपने आदेश संख्या मे माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण किसी भी शहर के सुनियोजित विकास मे सबसे बड़ी बाधा है,जिनको किसी भी सूरत मे नियमित नहीं किया जा सकता|माननीय न्यायालय द्वारा ऐसे अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों को चिन्हित करने और जेडीए एक्ट के तहत सील/ध्वस्त करने के स्पष्ट आदेश दिये साथ ही अधिकारियों की जवाबदेही भी सुनिश्चित करने की बात दोहराई|

प्रथम सूचना रिपोर्ट

1	भूखंड का पता	आवासीय भूखंड संख्या 542,श्रीराम विहार,जगतपुरा
2	संभावित गतिविधि	बिना सक्षम अनुमति आवासीय भूखंड पर व्यवसायिक निर्माण
3	संबन्धित ज़ोन	जेडीए ज़ोन-9
4	कार्यवाही करने हेतु सक्षम अधिकारी	श्री उदयभान
5	सक्षम अधिकारी को शिकायत प्रेक्षण दिनांक	01/11/2021

जवाब मांगते सवाल?

अवैध निर्माण नहीं रोकना भी भ्रष्टाचार

उच्च न्यायालय ने दिखाई सख्ती

जयपुर @ पत्रिका . अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियां नहीं रोकने वाले लोकसेवकों पर भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई का रास्ता खुल गया है। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण सहित अन्य अवैध गतिविधियों पर सख्ती दिखाते हुए सोमवार को भ्रष्टाचार निरोधक कानून के दायरे के बारे में जानकारी के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एमएन को तलब किया। कोर्ट ने 20 अप्रेल को जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त, नगर निगम आयुक्त को तलब किया है।

जज महेश चन्द्र शर्मा ने मोहनलाल नामा की अवमानना याचिका पर यह आदेश दिया। हाईकोर्ट ने अवैध निर्माण मामले में 22 जनवरी 2015 को अभ्यावेदन लेने का आदेश दिया था। इस पर कार्रवाई न होने पर यह याचिका दायर की है। प्रार्थीपक्ष की ओर से अधिवक्ता विमल चौधरी ने कोर्ट को बताया कि जयपुर शहर में अवैध निर्माण व कब्जे हो रहे हैं। कोर्ट के आदेशों की अवमानना हो रही है। अवैध निर्माण व कब्जों को रोकने के लिए राज्य सरकार ने अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है। कोर्ट ने इस पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि इन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है या नहीं? जवाब के लिए भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिरीक्षक दिनेश एम एन को तलब किया। उन्होंने दायित्व के प्रति अनदेखी को भी भ्रष्टाचार की श्रेणी में माना।

कार्रवाई संभव

अतिरिक्त महाधिवक्ता जी एस गिल ने कहा कि अवैध निर्माण या अवैध गतिविधियां रोकने के लिए जिम्मेदार अधिकारी या कर्मचारी जानबूझकर कार्रवाई न करे या अनदेखी करे तो उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। इसके लिए प्रक्रिया अपनानी होगी। गिल के आग्रह पर कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले में कोई आदेश जारी करने से पहले जयपुर विकास प्राधिकरण आयुक्त व जयपुर नगर निगम आयुक्त से जवाब तलब किया जाए।

सुनवाई 20 को

कोर्ट ने कहा कि इस मामले में कोई भी अधिवक्ता पक्ष रखना चाहे तो वह सुनवाई के दौरान पक्ष रखने को स्वतंत्र होगा। मामले की सुनवाई अब 20 अप्रेल को सुबह 11 बजे होगी।

1. क्या भवन मालिक द्वारा सक्षम प्राधिकरण से इस भूखंड का भू-उपयोग परिवर्तन करवा लिया गया है?
2. क्या भवन मालिक द्वारा सक्षम प्राधिकरण से मानचित्र अनुमोदित करवा कर निर्माण करवाया जा रहा है?
3. क्या भवन मालिक द्वारा भवन विनियमों के अनुसार सैटबैक मानदंडो का पालन किया जा रहा है?
4. क्या भवन मालिक द्वारा भूखंड की एक मुश्त/वार्षिक लीज मनी जमा करवा दी है?
5. क्या भवन मालिक द्वारा भूखंड यू.डी. टैक्स जमा करवा दिया गया है?
6. यदि भवन मालिक द्वारा इस बिल्डिंग के निर्माण मे किसी प्रकार की अनियमितता बरती गयी है तो उसके जिम्मेदार सक्षम प्राधिकरण के कौन-कौन अधिकारी है?
7. यदि इस बिल्डिंग मे नियम विरुद्ध निर्माण करवाया जा रहा है तो क्या जेडीए के जिम्मेदार अधिकारी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन 1554/2004 गुलाब कोठारी बनाम राजस्थान सरकार;मे दिये गए आदेशों की अवमानना के दोषी नहीं है?
8. क्या इस अवैध निर्माण के विरुद्ध जेडीए को आज दिनांक तक कोई शिकायत नई प्राप्त हुई है क्यूँ उन शिकायतों पर आज दिनांक तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी?
9. ज़ोन मे इस तरह के कितने अवैध निर्माण चल रहे है?आखिर क्यूँ जेडीए के अधिकारी क्षेत्र मे चल रहे अवैध निर्माणों पर मौन है?